प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 68 / 2023 (अपील सूचना का अधिकार)

पोखरलाल पुत्र प्यारेलाल जाट निवासीः ग्रा.प. सांरगपुरा, तहसील–कानोड, उदयपुर (राज0)

...............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/07/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 01.05.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने से संतुष्ट नहीं होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/68/23/846–47 दिनांक 28.06.2023 से लिखा गया। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/68/2023/655 दिनांक 03.07.2023 से जवाब प्रस्तत कर कार्यालय का अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। बिन्दु संख्या 1 व 2 के संबंा में आवक अनुभाग को इस कार्यालय के पत्रांक 564–65 दिनांक 21.06.2023 द्वारा पत्राचारा किया गया, जिस पर उक्त अनुभाग की रिपोर्ट प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 634 दिनांक 28.06.2023 जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई गई। बिन्दु संख्या 3 से 5 का संबंध उपखण्ड अधिकारी भीण्डर व कानोड से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 566–68 दिनांक 21.06.2023 द्वारा अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के बारे में प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया। कार्यालय में उपलब्ध वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना जावक अनुभाग से प्राप्त जवाब अनुसार उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 3 से 5 की सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी भीण्डर व कानोड से होने से प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर व कानोड को अंतरित किया गया। जिसकी सूचना से अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 566–68 दिनांक 21.06.2023 से अवगत करा दिया गया था।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही बिन्दु संख्या 3 से 5 की सूचना का संबंध कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर व कानोड से होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित कर दिया गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2023 जो प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 09.06.2023 को प्राप्त हुआ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि 5 दिवस में अंतरित नहीं की जाकर निश्चित समयावधि के उपरान्त अंतरित की गई है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी को चाहिए कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना संबंधित लोक अधिकरण से प्राप्त कर अपीलार्थी को नियमानुसार निशुल्क उपलब्ध करावे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

अपर जिला अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर